

17-11-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 19(1)साप्र/2/11

जयपुर, दिनांक : 14.11.2011

—: आदेश :—

श्री पवन सैन पुत्र स्व० श्री गिरधारी लाल सैन, सहायक कर्मचारी, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, जयपुर को उनकी एच श्रेणी की वरियता संख्या 34/11 व सेवा निवृति दिनांक 31.1.2041 के आधार पर उनके पिता श्री गिरधारी लाल सैन का उन्हे आवंटित राजकीय आवास संख्या एच-570 गौंधीनगर, जयपुर में निवास करते हुये दिनांक 16.5.2011 को देहान्त हो जाने पर उनके पुत्र श्री पवन सैन की राज्य सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति हो जाने पर पात्रता के अनुरूप नियम 17 के प्रावधानानुसार राजकीय आवास संख्या एच-570 गौंधीनगर, जयपुर उनके निवास हेतु "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :—

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चैक्की उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का भकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
- निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, कृषि भवन, जयपुर।
- कोषधारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करायें।
- अधिकारी अभियन्ता, साठनिविठो/जन स्वातो अभिविठो/जयपुर विठोनिगम लिठो, गौंधीनगर, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर, जयपुर।
- संबंधित कर्मचारी।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव